

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 88/2022

सीताराम पुत्र भागीरथ सिंह, जाति जाट, निवासी कुलहरियों की ढाणी तन मेघसागर, पोस्ट बुडानिया,
तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— आवेदक

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र रामानन्द, जाति जाट, निवासी कुलहरियों की ढाणी तन मेघसागर की ढाणी, पोस्ट बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. प्रेमसिंह
3. श्राजकुमार
पुत्र रामानन्द, जाति जाट, निवासी कुलहरियों की ढाणी तन मेघसागर की ढाणी, पोस्ट बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा।
5. उप पंजीयक, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
6. श्री संदीप चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, चिडावा।

— अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी प्रकरण सीताराम बनाम देवीसिंह मु0न0 73/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी, अभिभाषक - आवेदक की ओर से।
2. श्री रोताश कुमार कुलहरी, अभिभाषक - अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक - अनावेदक संख्या 4 लगायत 6 की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2022


आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि आवेदक ने एक दावा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी करने पर प्रतिवादीगण/अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जबाब दावा पेशकर दिया। उक्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयान में लम्बित है। आवेदक भूमि ख0न0 109 रकबा 1.02 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के उत्तर में ख0न0 107 स्थित है जो अनावेदक नं0 3 की खातेदारी की जमीन है तथा इसके साथ ही ख0न0 105 स्थित है जिसके खातेदार अनावेदक नं0 1 लगायत 3 है तथा उसके साथ ख0न0 105 स्थित है जिसका खातेदार अनावेदक नं0 2 है। वादी/आवेदक अपनी भूमि ख0न0 109 रकबा 1.02 हैक्टर का शान्ति पूर्वक उपयोग कर रहा है व आवेदक ने आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए तारबन्दी कर रखी है। अनावेदक/प्रतिवादीगा नं0 1

Munsh

लगायत 3 आवेदक से भूमि क्रय करने के रोज से रंजिश रखते है तथा आवेदक को धमकी देते रहते है कि खेत ख0न0 109 के पूर्वी पश्चिमी सीमा पर जबरन रास्ता निकालेंगे। जिस पर आवेदक के द्वारा उक्त दावा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अदालत मातहत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। आवेदक के द्वारा अनावेदक नं0 6 के न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की पालना करवाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया लेकिन अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा इसके बावजूद भी अपने राजनैतिक प्रभाव मे आवेदक के खते मे जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय अनावेदक नं0 6 के रुख से भी स्वतः स्पष्ट है कि अनोवदक नं0 1 लगायत 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार नही है। अनावेदक नं0 1 लगायत 3 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनकी रिश्तेदारी हरियाणा राज्य मे है। अनावेदक नं0 6 श्री संदीप चौधरी के घर पर भी इनका आना जाना है और आवेदक को ऐलानियां धमकी दी है कि हम उपखण्ड अधिकारी चिडावा अनावेदक नं0 6 को बडे राजनेता का टेलीफोन करवा दिया है। अगली तारीख पर जो स्थगन जारी कर रखा है उसको भी निरस्त करवा देंगे जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हो। रास्ता आपके खेत के बीच मे से निकालकर रहेंगे। अनावेदक नं0 1 लगायत 3 बडे राजनेताओं के सम्पर्क मे है व उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भी प्रभाव मे ले रखा है। ऐसी स्थिति मे आवेदक को अदलत मातहत से न्याय मिलने की कतई संभावना नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिससे एहसास हो कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत बडे राजनेताओं के प्रभाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर पायेगा और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। जिससे आवेदक के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकील पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक का उक्त प्रकरण विधिनुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य किसी न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 277 दिनांक 30.03.2022 द्वारा बिन्दूवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदक/प्रतिवादीगा नं0 1 लगायत 3 आवेदक से भूमि क्रय करने के रोज से रंजिश रखते है तथा आवेदक को धमकी देते रहते है कि खेत ख0न0 109 के पूर्वी पश्चिमी सीमा पर जबरन रास्ता निकालेंगे। जिस पर आवेदक के द्वारा उक्त दावा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अदालत मातहत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। आवेदक के द्वारा अनावेदक नं0 6 के न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की पालना करवाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया लेकिन अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा इसके बावजूद भी अपने राजनैतिक प्रभाव मे आवेदक के खते मे जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय अनावेदक नं0 6 के रुख से भी स्वतः स्पष्ट है कि अनोवदक नं0 1 लगायत 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार नही है। अनावेदक नं0 1 लगायत 3 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनकी रिश्तेदारी हरियाणा राज्य मे है। अनावेदक नं0 6 श्री संदीप


जिला कलेक्टर झरना


चौधरी के घर पर भी इनका आना जाना है और आवेदक को ऐलानियां धमकी दी है कि हम उपखण्ड अधिकारी चिडावा अनावेदक नं० 6 को बड़े राजनेता का टेलीफोन करवा दिया है। अगली तारीख पर जो स्थगन जारी कर रखा है उसको भी निरस्त करवा देंगे जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हो। रास्ता आपके खेत के बीच में से निकालकर रहेंगे। अनावेदक नं० 1 लगायत 3 बड़े राजनेताओं के सम्पर्क में है व उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भी प्रभाव में ले रखा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अदालत मातहत से न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकील पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक का उक्त प्रकरण विधिनुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य किसी न्यायालय में हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी पर आरोप नहीं है। देरी के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में यह प्रार्थना पत्र बाबत मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 73/2020 उनवानी सीताराम बनाम देवीसिंह किस्म मुकदमा दावा स्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा संख्या 73/2020 उनवानी सीताराम बनाम देवीसिंह किस्म मुकदमा दावा स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में दिनांक 19.05.2022 को उपस्थित हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं